आचार्य श्री नानेश समता पुरस्कार

1. पृष्ठभूमि :

समता विभूति आचार्य श्री नानेश की पावन स्मृति में संघ द्वारा उपरोक्त पुरस्कार सन् 2001 में संस्थापित हुआ। इस पुरस्कार निधि में सेठ शेरमल फतेहचंद डागा ट्रस्ट, गंगाशहर/बैंगलोर द्वारा 11 लाख रूपये प्रदान किये गए।

2. पुरस्कार हेतु पात्रता :

2.1 – यह पुरस्कार आचरण आधारित है। जिस व्यक्ति के जीवन में समता दर्शन और व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है, वही व्यक्ति इस पुरस्कार हेतु नामांकित हो सकता है।

2.1 A – जीवन का समतामय होना ही इस पुरस्कार–पात्रता की कसौटी पर खरा उतरना है। गृहस्थ में रहते हुए भी अनासक्त, स्थितप्रज्ञ, समत्वयोगी की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे समतादर्शी महामनीषियों के सम्मानार्थ यह पुरस्कार प्रस्थापित हुआ है ताकि समाज के उदात्त, प्रकृष्ट, अनुकरणीय उदाहरण सर्व विदित हो सकें।

2.2 – इस पुरस्कार के लिए जो स्वयं को पात्र समझते हैं, आवेदन कर सकते है परन्तु अधिकांशतः ऐसे उच्चस्तर के मनीषी इस प्रकार के आवेदन करने से विरत ही रहते हैं। अतः अन्य व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा भी इस प्रकार के श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है।

2.3 – पुरस्कार के लिए जाति, धर्म, उम्र आदि का कोई बंधन नहीं रहेगा। भारत के किसी भी नागरिक को, जिसके जीवन में पारदर्शिता व समता की स्पष्ट झलक मिलती हो, तथा जिसने व्यसनमुक्त समतावादी समाज रचना व जीवन मूल्यों की स्थापना में उल्लेखनीय, अनुकरणीय योगदान दिया हो, इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा सकता है।

3. पुरस्कार का स्वरूप : पुरस्कृत होने वाले समता मनीषी को एक लाख रूपये की नगद राशि का चैक, अभिनंदन पत्र व शॉल किसी विशिष्ट दिवस पर अथवा किसी गरिमामय समारोह में सम्मानपूर्वक भेंट किया जाएगा।

4. पुरस्कार की आवृत्ति : द्विवार्षिक।

5. चयन पद्धति :

5.1 – पुरस्कार विजेता का चयन तदर्थ गठित पुरस्कार समिति के द्वारा किया जाएगा।

5.2 – पुरस्कार समिति का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाएगा।

6. अन्य नियम :

6.1 – पुरस्कार के लिए नामांकन पत्र श्री अखिल भारतवर्षीय जैन संघ के प्रधान कार्यालय समता भवन, बीकानेर में व्यक्तिगत सुपुर्दगी (Hand-delivery) अथवा डाक के माध्यम से भिजवाया जा सकता है।

6.2 – पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियां लौटाई नहीं जाएंगी।